CENTRAL ADMINISTRAIVE TRIBUNAL LUCKNOW BENCH LUCKNOW

ORIGINAL APPLICATION NO. 127/2011

This, the 10th day of September, 2012.

HON'BLE JUSTICE SRI ALOK KUMAR SINGH, MEMBER (J)
HON'BLE SRI S. P. SINGH, MEMBER (A)

Munna Singh, aged about 52 years, son of Sri Vilaap Singh, resident of Naya Gaon, Maigalganj, District Kheri, Gamin Dak Sewak, Branch Daakpall, Nayagaon, Maigalganj, District Kheri.

Applicant

By Advocate Sri R. S. Chauhan.

VERSUS

1. Union of India, through its Secretary, Ministry of Communication & I. T. Govt. of India, Department of Posts, New Delhi.
2. Secretary (Posts) and Director General (Posts) Department of Posts, Dak Bhavan New Delhi 110016.
3. The Chief Postmaster General, U.P. Circle, Lucknow.
4. The Director Postal Services, Bareilly Region, Bareilly.
5. Superintendent of Post Offices, Kheri Division, Kheri.

Respondents

By Advocate Sri Raj Singh for Sri R. Mishra.

ORDER

By Hon'ble Sri S. P.Singh, Member (A)

This O.A. has been instituted to assail the appellate order dated 01.2.2011 passed by the opposite party No. 4 as well as the punishment order dated 21.10.2010 passed by opposite party No. 5 by which the petitioner has been removed from employment. The photo copies of the impugned appellate order dated 01.02.2011 and punishment order dated 21.10.2010 passed by respondent Nos. 4 and 5 respectively are annexed as Annexure 1 and 2 to this O.A.

2. A charge sheet under Section 10 of the G.D.S. (Conduct & Employment) Rules, 2001 was issued on 29.06.2009 (Annexure No. 7). Two charges were leveled against the applicant.

(i) The applicant had forged the educational documents.

(ii) He filed fabricated documents at the time of his appointment. Therefore, the applicant fail to maintain integrity and violated Rule 21 of G.D.S. (Conduct & Employment) Rules 2001. A photo copy of Memorandum dated 29.6.2009 along with charge sheet issued by

respondent No. 5 is annexed at Annexure 7 to the O.A. The applicant submitted his representation dated 9.7.2009 denying all the charges.

3. The Inquiry Officer viz SDI (Postal) Sub Division, Palia Kheri conducted a detailed inquiry and submitted his report dated 10.8.2010 to the Disciplinary Authority i.e. Respondent No. 5. Respondent No. 5 to the effect that charge No. 1 leveled against the applicant is not found proved.

4. The Disciplinary Authority disagreed with finding of the Inquiry Officer and thus disagreeing with the Inquiry Officer forwarded the inquiry report dated 10.8.2010 along with his note of disagreement vide his letter dated 25.9.2010 calling representation of the applicant within 15 days. A photo copy of the letter dated 25.9.2010 issued by the Respondent No.5 along with the inquiry report dated 10.8.2010 submitted by SDI (Postal) Sub Division, Kheri is annexed As Annexure 8 to the O.A.

5. The applicant submitted his representation dated 10.10.2010 to the Respondent No. 5. A photo copy of the representation dated 10.10.2010 is annexed at Annexure-9.

6. The Disciplinary Authority after considering his representation dated 10.10.2010 passed impugned punishment order dated 29.10.2010 awarding the punishment of removal i.e. Annexure-2. The impugned punishment order dated 29.10.2010 is reproduced below:-

"इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 26/29.06.2009 के द्वारा श्री मुन्नू सिंह ग्रा0डा0 से0 शाखा डाकपाल नयागॉव (मैगलगंज) खीरी को सूचित किया गया था कि ग्रा0 डा0 सेवक (आचरण एवं रोजगार) नियमावली–2001 के नियम–10 के अन्तर्गत उनके विरुद्व कार्यवाही प्रस्तावित है। कार्यवाही जिन अवचार एवं कदाचार के लॉछनों के ऊपर प्रस्तावित थी, उनका विवरण निम्नलिलिखत है–

श्री मुन्नू सिंह उपरोक्त ने शाखा डाकपाल, नयागॉव, मैगलगंज, खीरी की नियुक्ति के समय अपने द्वारा कृषक इण्टर कालेज महोली, सीतापुर, छात्र पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, पंजिसका संख्या 14430 जो कि कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 14.02.1979 को जारी किया गया है, की प्रस्तुत किया था। श्री नरपत सिंह ग्राम प्रधान नयागॉव के द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र को कृषक इण्टर कालेज महोली सीतापुर के प्रधानाचार्य से सत्यापित करवान पर वह फर्जी पाया गया क्योंकि इसमें कक्षा–8 से सम्बन्धित जो प्रवष्टिया अंकित की गयी थी वह काजेज के अभिलेखों में दर्ज नही पायी गयी। कालेज के प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 05.05.09 में यह उद्वरत किया है कि मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों मे अंकित उक्त श्री मुन्नू सिंह की जन्म तिथि 03.09.58 है जिसमें कक्षा–8 उत्तीर्ण का जो विवरण अंकित किया गया है वह सत्य नहीं है। केवल कक्षा–10 का विवरण अंकित हैं और इसके साथ उन्होंने स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति दिनांकित 05.05.09 दिया।

अतः आरोपित है कि उक्त श्री मुन्नू सिंह ने शाखा डाकपाल की नियुक्ति के दौरान फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर सत्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे और इस प्रकार इन्होंने

ग्रा0डा0 से0 (आचरण एवं रोजगार) नियमावली–2001 के नियम–21 का स्पष्ट उल्लंघन किया।

उपरोक्त ज्ञापन अवचार एवं कदाचार के लॉछनों सहित श्री मुन्नू सिंह उपरोक्त शाखा डाकपाल , नयागॉव मैगलगंज खीरी को प्रधान डाकघर खीरी पंजीकृत संख्या ए 1362 पावती सहित दिनांक 29.06.09 को इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि इसके विरुद्व जैसा कि वह चाहे अपना बचाव प्रतिवेदन इस ज्ञापन के प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर भेज दें। उपरोक्त ज्ञापन अवचार एवं कदाचार के लॉछनों सहित, श्री मुन्नू सिंह उपरोक्त को दिनांक 01.07.09 को प्राप्त हुआ। आरोपित कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09.07.09 (इस कार्यालय में प्राप्त 10.07.09) में अपने उपर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रुप सें अस्वीकार किया था। अतः इस कार्यालय के सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 15. 07.09 के द्वारा मामले की जांच हेतु श्री श्री एस0के0 गुप्ता निरीक्षक डाकघर पलिया उपमण्डल खीरी को जॉच अधिकारी तथा आरोपों के समर्थन में मामला प्रस्तुत करने हेतु श्री सुबोध कुमार निरीक्षक डाकघर गो0गो0 नाथ को प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किया गया था श्री एस0के0 गुप्ता उपरोक्त ने विभिन्न तिथियों में जॉच की बैठके कर जॉच पूरी की और अपने पत्रांक आई0ओ0 / मुन्नू सिंह/09–10 दिनांक पलिया 8/17.09.10 के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोपित कर्मचारी के ऊपर लगाए गए आरोप को सिद्व नहीं पाया गया लिखा है अधोहस्ताक्षरी ने आरोप के परिप्रेक्ष्य में जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट एवम दौरान जॉच बनाए गए प्रदर्शो और प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों के बयानों का सम्यक अध्ययन किया और पाया कि जॉच अधिकारी ने निष्कर्ष निकालने में बड़ी गलती की है। जॉच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.09.10 के द्वारा खीरी प्रधान डाकघर पंजीकृत पत्र सं0 ए–7395 दिनांक 27.09.10 पावती सहित के माध्यम से प्रेषित की गयी और निर्देशित किया गया कि इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिनें के अन्दर वह अपना प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें। आरोपित कर्मचारी को यह भी अवगत कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी जॉच अधिकारी के जॉच निष्कर्ष कि आरोप सं0–1 सिद्व नहीं पाया गया, से सहमत नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह (SW-1) श्री पी0के0 सिंह कार्यालय सहायक मं0 का0 खीरी के बयान से स्पष्ट है कि आरोपति कर्मचारी की नियुक्ति प्रदर्श क–1 के आधार पर हुई है। क–1 में कक्षा–8 का विवरण कृषक इण्टर कालेज महोली सीतापुर द्वारा नहीं लिखा गया है जिसे निश्चय ही आरोपित कर्मचारी ने लिखा या लिखवाया है क्योकि बिना कक्षा–8 उत्तीर्ण दर्शाये हुए उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। प्रदर्श क–3 से स्पष्ट है कि आरोपित कर्मचारी कर्मचारी ने कृषक इण्टर कालेज महोली से कक्षा–8 और कक्षा–9 की परीक्षा नहीं दी है। गवाह बाबू राम और श्री अवधेश नारायन सक्सेना ने भी बताया है कि आरोपित कर्मचारी ने कक्षा–8 तक की पढाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैगलगंज में की है। इस प्रकार उस पर लगाया गया आरोप पूर्ण रुप सें सिद्व होता है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट असहमति के साथ आरोपित कर्मचारी को दिनांक 28.09.10 को प्राप्त हुई। आरोपित कर्मचारी को जॉच रिपोर्ट के साथ प्रेषित असहमति (Disagreement) के ऊपर कर्मचारी का प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 इस कार्यालय में दिनांक 14.10.10 को प्राप्त हुआ।

मैनें आरोप पत्र के परिप्रेक्ष्य में जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट, दौरान जॉच बनाए गए प्रदर्श औरा आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 एवम सम्बंधित पत्रावली का सूक्ष्म अध्ययन किया। आरोपित कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया है–

आरोपित कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 के बिन्दु–1 में कहा है कि उसके उपर एक आरोप और मढ़ दिया गया है जो आरोप पत्र से हटकर है। उसका यह कथन सही नहीं है क्योंकि आरोप पत्र में यही लिखा गया है कि श्री मुन्नू सिंह ने शाखा डाकपाल की नियुक्ति के दौरान फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर सत्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे यहां भी पी0के0 सिह के बयान दिनांक 11.03.10 से स्पष्ट है कि प्रदर्श क–1 नियुक्ति पत्रावली का अभिलेख है यह अभिलेख नियुक्ति के समय आरोपित कर्मचारी ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार आरोप पत्र से अलग हटकर कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई नया आरोप लगया गया है।

आरोपित कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 के पैरा–क में लिखा है कि प्रदर्श क–1 में कक्षा–8 का विवरण उसके द्वारा अंकित किये जाने की पुष्टि जॉच में नही हुई है। प्रदर्श क–1 पर कक्षा–8 का विवरण न तो उसने लिखा था और न ही किसी से लिखवाया था। नियुक्ति के समय प्रदर्श क–1 जो मूलरुप में दिया गया था उसमें कक्षा–8 का विवरण अंकित नहीं था क्योंकि कक्षा–8 उसने किसी दूसरे स्कूल से पास किया था।

इसमें यदि कोई हेरा फेरी हुई है तो वह मण्डलीय कार्यालय के स्तर पर हुई होगी क्योंकि लगभग तीस वर्षो से यह मण्डलीय कार्यालय की अभिरक्षा में है। आरोपित कर्मचारी का यह भी कथन है किवह कक्षा–10 फेल था। उस समय शाखा डाकपाल के पद पर नियुक्ति होने की शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 पास थी। प्रदर्श क–1 व क–3 से स्पष्ट है कि जब उसने कक्षा–8 उत्तीर्ण की तभी उसे कक्षा–10 की परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान हुआ।

आरोपित कर्मचारी द्वारा उठाये गये इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेखों को देखने पर पाया गया कि प्रदर्श क–1 में कक्षा–8 का विवरण उसके द्वारा अंकित करने की पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रदर्श क–1 आरोपित कर्मचारी ने ही अपनी नियुक्ति के समय दिया था और इसमें कक्षा–8 पास होने का विवरण अवश्य लिखा रहा था। यह विवरण मण्डलीय कार्यालय में किसी ने लिख दिया होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। आरोपित कर्मचारी का यह कथन सही है कि उस समय शाखा डाकपाल के पद पर नियुक्ति होने की शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 पास थी। यदि यह माना जाय कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श क–1 में कक्षा–8 पास का विवरण नहीं लिखा था तो प्रदर्श क–1 के आधार पर उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती थी क्योंकि तब प्रदर्श क–1 में किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण नहीं होता। आरोपित कर्मचारी को निश्चय ही नियुक्ति की शर्त कक्षा–8 पास होना पूरी करनी थी इसलिए उसने अपने हित में निःसंदेह इस कमी को पूरा करने के लिए इस अभिलेख मे कक्षा–8 पास होने की प्रविष्टि की अथवा करायी। इसी का लाभ लेकर उसने शाखा डाकपाल नयागॉव की नियुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसने जो सही टी0सी0 कृषक इण्टर कालेज महोली से कक्षा–10 फेल होने की प्राप्त की उसमें सन 1976–77 में कक्षा–8 उत्तीर्ण होने की प्रविष्ट करके इसे फर्जी अभिलेख बना दिया और नियुक्ति पाने हेतु प्रस्तुत किया । आरोपित कर्मचारी एक तरफ यह लिख रहा है उसने कक्षा–8 अन्य स्कूल से पास किया लेकिन उसने अपने इस कथन के समर्थन में दौरान जॉच कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

आरोपित कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.10.10 के पैरा ख में यह बिन्दु उठाया है कि उसके ऊपर आरोप पत्र से हटकर और आरोप मढ़ दिया है कि यदि प्रदर्श क–1 पर कक्षा–8 का विवरण अंकित न होता तो उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। उसका यह कथन है कि प्रदर्श क–1 से स्पष्ट है किवह कक्षा–10 फेल है तथा साथ साथ वह कक्षा–8 उत्तीर्ण है उसने यह भी लिखा है कि तत्तकालीन अधीक्षक डाकघर खीरी जिन्होने इसकी नियुक्ति की थी के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से दोषारोपण किया गया है आरोपित कर्मचारी द्वारा उठाये गये ये बिन्दु निराधार व अमान्य है। उसके ऊपर आरोप पत्र से हटकर और कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि यदि प्रदर्श क–1 पर कक्षा–8 का विवरण अंकित न होता तो उसकी नियुक्ति शाखा डाकपाल के पद पर नहीं हो सकती थी जैसा कि उपर बताया गया है। प्रदर्श क–1 में मात्र कक्षा–10 फेल होने का विवरण अंकित होने पर यह कदापि नहीं माना जा सकता कि उसने कक्षा–8 उत्तीर्ण की है उसे निश्चित रूप से कक्षा–8 उत्तीर्ण होने का प्रमाण नियुक्ति के समय देना आवश्यक था तत्कालीन अधीक्षक डाकघर खीरी ने निश्चित ही प्रदर्श क–1 में दर्शायें गये कक्षा–8 पास होने के विवरण को मानकर ही नियुक्ति दी थी उसके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण लगाया जाना नहीं कहा जा सकता। आरोपित कर्मचारी का कथन बिल्कुल सही है कि उसकी नियुक्ति तत्तकालीन अधीक्षक डाकघर ने कक्षा–8 के आधार पर की है चूंकि उसने प्रदर्श क–1 में कक्षा–8 पास के अंकित विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है और यह विवरण एक फर्जी विवरण है इस प्रकार उसके द्वारा नियुक्ति के दौरान फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किया गया। यही आरोप आरोपित कर्मचारी पर लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के गवाह की दयानन्द मिश्र प्रधानाचार्य कृषक इण्टर कालेज महोली सीतापुर ने अपने बयान दिनांक 21.05.10 में स्पष्ट किया है कि प्रदर्श क–1 और प्रदर्श क–3 दोनों ही उनके कालेज से जारी हुए है लेकिन प्रदर्श क–1 के विवरण पूर्णतया सही नहीं है। इसमें जो कक्षा–8 का विवरण दिया गया है वह गलत है उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्श क–1 में कक्षा–8 की जो प्रविष्टि अंकित है वह उनके कार्यालय अभिलेख में नहीं है। और न ह ावह उनके कार्यालय द्वारा अंकित की गयी है उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मचारी ने अपनी स्वार्थ सिद्व के लिए प्रदर्श क–1 पर कक्षा–8 का विवरण अपने स्तर से बनाकर अपनी नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के गवाह श्री नरपत सिंह ने अपने बयान दिनांक 21.05.10 में अपनी शिकायती पत्र प्रदर्श क–4 की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि श्री मुन्नू सिंह द्वारा नौकरी पाने हेतु जो शिक्षा का प्रमाण पत्र लगाया गया है वह पूर्णतया फर्जी है। श्री गंगा प्रसाद सहायक अधीक्षक डाकघर मुख्यालय खीरी ने भी जांच के दौरान अपने बयान

दिनांक 04.06.10 में कहा है कि प्रदर्श क–1 टी0सी0 में कक्षा–8 के सामने जो प्रविष्टि अंकित है वह कालेज के रिकार्डो में नहीं है।

जॉच के दौरान बचाव पक्षों के गवाहों के रूप में श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री केसरी ग्रा0 व पो0 नया गॉव (मैगलगंज) खीरी , श्री बाबूराम जी0डी0एस0 पैकर मैगलगंज और अवधेश नरायन सक्सेना जी0डी0एस0 बी0पी0एम0 नैका खोडा को प्रस्तुत किया गया है इनमें से किसी गवाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आरोपित कर्मचारी श्री मुन्नू सिंह ने कक्षा आठ की परीक्षा किसी विद्यालय से पास की है। श्री मुन्नू सिंह से बचाव बयान के दौरान नियुक्ति के समय प्रस्तुत टी0सी0 के सम्बन्ध में पूँछे जाने पर आरोपित कर्मचारी ने अपने बचाव बयान दिनांक 05.07.10 में यही बताया है कि इसमें (प्रदर्श क–1) में कक्षा–8 का विवरण पहले नहीं लिखा था और अब लिखा है, चूंकि कक्षा–8 उसने अन्य स्कूल से किया था इसलिए इसमें विवरण दर्शाने का प्रश्न नहीं उठता है। उनके इस कथन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदर्श क–1 वही अभिलेख है जो आरोपित कर्मचारी ने नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया था। आरोपित कर्मचारी ने कई बार इस बात को स्वयं कहा है कि उसकी नियुक्ति कक्षा–8 उत्तीर्ण होने के आधार पर हुई है लेकिन प्रदर्श क–1 के अतिरिक्त पूरी जॉच में वह कोई ऐसा प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सका है जिससे यह माना जा सके कि उसने किसी विद्यालय से कक्षा–8 पास किया है। यहॉ यह भी स्पष्ट हो गया है कि उसकी नियुक्ति प्रदर्श क–1 के आधार पर हुई है जो उसके द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया है और इसमें अंकित कक्षा–8 के उत्तीर्ण होने का विवरण फर्जी है । इस प्रकार श्री मुन्नू सिंह आरोपित कर्मचारी पर लगाया गया आरोप पूर्णरुप से सिद्व होता है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री सुबोध कुमार, उपमण्डलीय निरीक्षक डाकघर गोला गोकरन नाथ ने भी अपने जॉच सार दिनांक 31.07.10 में श्री मुन्नू सिंह पर लगाये गये आरोप को पूर्णतः सिद्व पाया बाताया है। इस प्रकार श्री मुन्नू सिंह अपनी सत्यनिष्ठा बनाये रखने में पूर्णतः असफल रहे हैं और इसके लिए वह कड़े दण्ड के पात्र है।

आदेश

मैं ए0के0 दीक्षित अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी समस्त बिन्दुओं पर विचार करके आरोपित कर्मचारी श्री मुन्नू सिंह को तत्काल प्रभाव से रोजगार से निष्कासन (Removal from employment) का दण्ड देता हूँ।

7. The applicant being aggrieved by the impugned punishment order dated 29.10.2010 passed by the Disciplinary Authority preferred an appeal dated 15.12.2010 to the Appellate Authority i.e. Respondent No. 4. A photo copy of the memo of appeal dated 15.12.2010 is at Annexure-11 to the O.A. The Appellate Authority passed appellate order dated 01.02.2011 rejecting the appeal of the applicant and upholding the punishment order dated 21.10.2010 passed by respondent No. 4 namely Disciplinary Authority. The impugned appellate order dated 01.02.11 is reproduced below:-

अपीलीय आदश

अधीक्षक डाकघर, खीरी मण्डल,खीरी के ज्ञापन संख्या ए/जीडीएस/जनरल/2009 दि0 29.10.10 के द्वारा श्री मुन्नू सिंह, भू0पू0 ग्रामीण डाक सेवक भाखा डाकपाल, नया गॉव (मैगलगंज) खीरी ाक तत्काल प्रभाव से निश्कासन **(Removal from employment)** का दण्डादेश जारी किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्व उक्त जीडीएस की अपील दिनॉक 15.12.10 इस कार्यालय में दि0 20.12.10 को प्राप्त हुई है।

2. अपीलार्थी के विरूद्व जीडीएस (आचरण एवं रोजगार) नियमावली–2001 के नियम–20 के अन्तर्गत अधीक्षक डाकघर, खीरी के ज्ञापन सं0

ए/जीडीएस/कार/जनरल/09 दि0 29.06.09 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। यह अनुशासनिक कार्यवाही जिन अवचार एवं कदाचार के लांछनों पर आधारित थी, उनका विवरण निम्नवत् है:

"यह कि श्री मुन्नू सिंह जी0डी0एस0 भाखा डाकपाल (पुटऑ डयूटी) नयागॉव,मैगलगंज खीरी द्वारा भाखा डाकपाल की नियुक्ति के समय दिये गये शैक्षिक अभिलेखों में हेरफेर किया गया था ।

अतः आरोपित है कि श्री मुन्नू सिंह उपरोक्त कृत्य करके सत्यनिश्ठा बनाए नहीं रखा और इस प्रकार उन्होंने ग्रा0 ड0 सं0 (आचरण एवं रोजगार) नियमावली–2001 के नियम–21 का स्पश्ठ उल्लंघन किया"।

3. अपीलार्थी को उसके ऊपर लगाये गये आरोपों को ज्ञापन दि0 29.06.09को भेजा गया जो उन्हें दि0 01.07.09 को प्राप्त हो गया थां जीडीएस कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के विरूद्ध बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उन्हें 10 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी ने अपने प्रतिवेदन दि09.7.09 के द्वारा लगाये गये आरोपों का स्पश्ट रू‍प से अस्वीकार कर दिया। अतः सक्षम अनुशासनिक अधिकारी अधीक्षक डकाघर, खीरी मण्डल के ज्ञापन दि0 15.07.10 द्वारा मामले की खुली जॉच हेतु जॉच अधिकारी तथा प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किये गये। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्यराा दि0 08/17.09.10 मण्डलीय कार्यालय, खीरी में दि0 21.09.10 को प्राप्त हुई जिसमें आरेप संख्या एक सिद्ध नहीं पाया गया। तत्प चात अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जॉच आख्या की एक प्रति अपीलार्थी को दिनॉक 25.09.10 को भेजी गयी जो उन्हें दि0 28.09.10 को प्राप्त हुई जिसमें आरोप सं0 एक की पुष्टि जॉच अधिकरी द्वारा न किये जाने पर असहमति व्यक्त किया गया तथा अपीलार्थी को जॉच आख्या व असहमत न होने के तर्को पर अपना प्रतिवेदन भेजने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया। अपीलार्थी का प्रतिवेदन दि0 10.10.10 मण्डलीय कार्यालय,खीरी में दि0 14.10.10 को प्राप्त हुआ। तदुपरांत सक्षम अनुशासनिक अधिकारी अधीक्षक डाकघर,खीरी ने आरोप पत्र जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या, दिए गये असहमति पर प्राप्त प्रतिवेदन तथा समस्त अभिलेखों का सम्यक अध्ययन करने के उपरांत उक्त जीडीएस का तथ्काल प्रभाव से रोजगार से निश्कासित किए जाने कां दण्डादे । दि0 29.10.10 पारित किया। अपीलार्थी ने इस दण्डादे । के विरूद्ध ये अपील दिनॉ 15.12.10 प्रस्तुत की है।

4. संक्षेप में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारार्थ निम्न बिन्दुओं को उठाया गया है:–

4.1. इस बिन्दु में अपीलार्थी ने उसे दिए गये आरोप पत्र में उल्लिखित आरोप, सूचीबद्ध दस्तावेजों तथा गवाहों का वर्णन किया है।

4.2 यह कि जॉच अधिकारी द्वारा की गयी जॉच के दौरान आरोप पत्र के अनुच्छेद एक में लगाये गये आरोप की पुश्टि नहीं हुई है।

4.3 यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीक्षक डाकघर,खीरी द्वारा पारित किए रोजगार से निश्कासन के दण्ड के सम्बन्ध में उसका कथन निम्नवत् है:–

4.4 क यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी जॉच में आरेप की पुश्टि नहीं हुई है। राज्य साक्षा सं0 –2 श्री दयाानन्द मिश्रा, प्रधानाचार्य,कृषक इण्ठर कालेज,महोली,सीतुर ने प्रदर्श क–1 व क–3 का उनके कालेज से जारी होने की पुष्टि की है। प्रदर्श क–1 पर जो कक्षा–8 का विवरण अंकित है, उसका उन्होंने अपने अभिलेखों में अंकित न होने का उल्लेख किया है। इस प्रदर्श पर लिखा गया विवरण उसके द्वारा नहीं लिखा गया है न ही लिखवाया गया है जिसकी जॉच में पुश्टि हो चुकी है। फिर भी उसे रोजगार से निकालकर अन्याय किया गया है।

4.3 ख यह कि अनुशासनिक अधिकारी ने आरोप पत्र से हटकर निश्कर्श निकाला कि जॉच के दौरान अपीलार्थी द्वारा कक्षा–8 पास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका जबकि उर्सके ऊपर मात्र आरोप यह था कि उसने जीडीएस शाखा डाकपाल नया गॉव,खीरी के पद पर नियुक्ति के समय दिए गये शैक्षिक अभिलेखों (प्रदर्श क–1) में हेर फेर किया जिसकी पुश्टि जॉच में नहीं हुई।यदि उससे कक्षा– 8 पास होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता तो वह अवश्य उपलब्ध कराता। उसने कक्षा–8 वर्ष 1976 में राम प्रसाद जूनियर हाई स्कूल, महोली सीतापुर से उत्तीर्ण किया है। अनुशासनिक अधिकारी ने जॉच रिपोर्ट पर अनुचित असहमति व्यक्त कर अपीलार्थी को बचाव का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जो अन्याय है व दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4.3 ग यह कि शाखा डाकघर दया गॉव दि0 29.03.79 को खुला। अपीलार्थी की नियुक्ति शाखा डाकपाल, नया गॉव के पद पर तत्कालीन अधीक्षक डाकघर महोदय द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर दि0 26.3.79 को की गयी और वह दिनांक 3.4.79 से लगातार शाखा डाकपाल के पद पर कार्य कर रहा है। प्रदर्श क–1 अनुशासनिक अधिकारी की अभिरक्षा की अभिरक्षा में विगत लगभग 30 सालों से है। इसमें यदि कोई हेरा फेरी हुई भी है तो षडयन्त्र के अन्तर्गत अनुशासनिक अधिकारी के कार्यालय से ही सम्भव है। अपीलार्थी के स्तर से नहीं। अतः दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य है।

43 घ यह कि जॉच में राज्य साक्षी नं0–3 ने अपनी शिकायत दि0 9.04.09 की पुष्टि की है जिसके आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है। इस राज्य साक्षी ने अपने बयान दि0 21.05.10 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह वर्ष 1981 से नया गॉव में निवास कर रहा है जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति दि0 26.03.79 को हुई थी। यह साक्षी अपीलार्थी के गॉव का मूल निवासी नहीं है जो पंजाब से आकर बसा है। इस साक्षाी को कैसे मालूम हुआ कि अपीलार्थी का शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी है? इस साक्ष्य के आधार पर रोजगार से निश्कासन अन्यायपूर्ण है।

4.3 ड यह कि राज्य साक्षी सं0–3 बडा महत्वाकांक्षी उदण्ड व माफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने दि0 21.05.10 को अपने प्रभत्व को स्थापित करने के लिए उप डाकपाल मैगलगंज के साथ अभद्रता की। निश्चित रूप से अपीलार्थी इस साक्षी के षडयन्त्र का शिकार हुआ है। अतः दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

4.3 च यह कि जॉच के दौरान राज्य साक्षी सं0–2 ने यह पुष्टि की है कि अपीलार्थी कक्षा आठ पास तथा कक्षा–10 फेल अभ्यर्थी था। प्रदर्श क–1 से स्वतः स्पष्ट है कि तत्कालीन अधीक्षक ने अपीलार्थी की नियुक्ति कक्षा–10 फेल होने के आधार पर की। यदि वह कक्षा–8 पास न होता तो उसे कक्षा–10 की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती। वर्ष 1979 में शाखा डाकपाल की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास की ही थी जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति दि0 26.03.79 को की गयी। वह कक्षा–8 पास होने का प्रमाण पत्र मॉगे जाने पर प्रस्तुत करता। अतः दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4.3 छ यह कि दण्डाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को रोजगार से निष्कासन का दिया गया दण्ड गुण दोष पर आधारित न होकर पद में निहित शक्तियों के दुरूपयोग पर आधारित है।

4.3 ज यह कि दिया गया दण्ड अपराध के अनुरूप नहीं है। दण्ड अपराध रहित होने के कारण निरस्त किए जाने योगय है।

4.3 झ यह कि दण्ड और अपराध में जमीन आसमान का अन्तर है। दण्डादेश में स्पष्ट है कि इसमें दण्ड ही दण्ड है अपराध नहीं। अतः दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य है।

5. मैने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाये गये बिन्दुओं, दण्डादेश, आरोप पत्र, जॉच आख्या,अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जॉच आख्या पर भेजी गयी असहमति तथा उस पर प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का गहन अध्ययन कर लिया है।

6 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दि0 15.12.10 के प्रत्येक बिन्दु पर बिदुवार टिप्पणी निम्नवत् हैः–

6.1 इस बिन्दु में अपीलार्थी ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा है। अतः विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

6.2 अपीलार्थी का पूर्ण कथन मान्य नहीं है। सक्षम अनुशासनिक अधिकारी ने पाया कि जॉच अधिकारी ने जॉच में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों एवं गवाहों के बयानों पर सम्यक ध्यान न देकर जॉच निष्कर्ष गलत निकाला है। अतः अनुशासनिक अधिकरी अधीक्षक डाकघर,खीरी द्वारा अपनी स्पष्ट असहमति के साथ जॉच रिपोर्ट की प्रति अपीलार्थी को भेजी गयी।

.3 अपीलार्थी का कथन स्वीकार नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह श्री पी0के0सिंह,पी डब्लू–1 के बयान से स्पष्ट है कि प्रदर्श क–1 वही अभिलेख है जो अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के समय दिया था। अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह श्री दया नन्द मिश्र,प्रधानाचार्य,कृषक इण्टर कालेज,महोली,सीतापुर ने अपने बयान दि0 21.05.10 में स्पष्ट किया है कि प्रदर्श क –1 और प्रदर्श क–3 दोनों ही उनके कालेज से जारी हुए है। प्रदर्श क–1 के विवरण पूर्णतया सही नहीं है। इसमें जो कक्षा आठ की की गयी प्रविष्टि उनके कार्यालय अभिलेखमें नहीं है और न ही उनके कार्यालय द्वारा अंकित की गयी है। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रदर्श क–1 पर कक्षा–8 का विवरण अपने स्तर से बनाकर अपनी नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया क्यांकि अपीलार्थी की नियुक्ति कक्षा–8 उत्तीर्ण होने के आधार पर ही होनी थी। उसने अपने प्रतिवेदन दि0 10.10.10 के पैरा क, पेज 3 में स्वयं उल्लेख किया है कि उस समय शाखा डाकपाल के पद पर नियुक्त होने की शैक्षिक योग्यता कक्ष–8 पास थी। इसके साथ अभियोजन कक्ष के गवाह श्री नरपत सिंह ने अपने बयान दि0 21.05.10 में अपने शिकायती पत्र (प्रदर्श क–4) की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि श्री मुन्नू सिंह द्वारा नौकरी पाने

हेतु जो शैक्षिक प्रमाण पत्र (प्रदर्श क–1) प्रस्तुत किया गया है उसमें कक्षा –8 उत्तीर्ण होने की प्रविष्टि फर्जी है। इसी कारण यह अभिलेख फर्जी है।

6.3 ख अपीलार्थी का कथन मान्य नहीं है। अपीलार्थी ने अपने बचाव गवाहों के माध्यम से यह बात जॉज में स्पष्ट की है कि वास्तव में उसने कक्षा–8 कृषक इण्टर कालेज,महोली से पास नहीं किया था बल्कि वह उच्चतर माध्यमिक विघालय,मैगलगंज में कक्षा–8 में पढता थां। इस प्रकार कक्षा–8 पास होने की बात अनुशासनिक अपीलार्थी के स्तर से ही उठायी गयी है। लेकिन यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि उसने कक्षा–8 कहॉ से उत्तीर्ण किया है और न ही कक्षा–8 पास होने का प्रमाण ही प्रस्तुत किया है जबकि अपीलार्थी यह स्वयं मानता है और जॉच में कहता है कि उस समय शाखा डाकपाल की नियुक्ति कक्षा आठ पास होने के आधार पर होती थी जैसा कि ऊपर के पैरा में दोहराया गया है। अपीलार्थी इस बात पर जोर दे रहा है कि उसकी नियुक्ति कक्षा आठ तथा कक्षा 10 फेल होने के आधार पर हुई है। जब नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अपेक्षित था तो कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने का शैक्षिक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक था। प्रदर्श क–1 में यदि कक्षा 8 सम्बन्धी प्रविष्टि निकाल दी जाए जिसे कालेज अधिकारियों ने मान्य नहीं किया है तो इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक किसी भी कक्षा में अपीलार्थी उत्तीर्ण नहीं है, केवल कक्षा 10 में फेल है। शाखा डाकपाल की नियुक्ति की शर्त कक्षा 8 पास होने की कमी को पूर्ण करने के लिए ही उसने प्रदर्श क–1 में कक्षा 8 पास की प्रविष्ट की है। उसका यह कथन मान्य नहीं है कि दण्डाधिकारी ने अनुचित असहमति व्यक्त कर अपीलार्थी को समुचित बचाव का अवसर प्रदान नहीं किया। वास्तव में उसका असहमति के विरूद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद ही सभी तथ्यों पर विचार करके दण्डादेश पारित किया गया है। अतः उसे बचाव का समुचित अवसर दिया गया है।

6.3 ग अपीलार्थी का कथन स्वीकार नहीं है। उसके ऊपर आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों से हटकर और कोई आरोप नहीं लगाये गये है। तत्कालीन अधीक्षक डाकधर खीरी जिन्होंने अपीलार्थी की नियुक्ति की थी, ने निश्चित ही कक्षा –8 पास के विवरण के आधार पर की थी, जिसक जॉच में फर्जी विवरण प्रस्ततुत किया गया तदनुसार उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी।

6.3 घ अपीलार्थी का कथन स्वीकार नहीं है। श्री नरपत सिंह ग्राम प्रधान नयागॉव की शिकायत दिनांक 09.04.09 प्रदर्श क–4 को आधार मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशानिक कार्यवाही नहीं की गयी है, बल्कि उसके शिकायत की प्रारंम्भिक जॉच एवं अभिलेखों के आधार पर अनुशासनिक कार्यावाही की गयी है।

6.3 ड अपीलार्थी का दिया गया तर्क आरोपों से संबंधित नहीं है। अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

6.3 च इस बिन्दु से संबंधित बातों पर टिप्पणी ऊपर पैरा 6.3 क और 6.3 ग में दी गयी है। अपीलार्थी का यह कथन कि दण्डाधिकारी को अपीलार्थी द्वारा कक्षा 8 पास न होने के संबंध में संदेह था तो वह अपीलार्थी से कक्षा 8 पास होने के संबंध में प्रमाण पत्र मांग कर सकते थें, बिल्कुल मान्य नहीं है क्यों कि उसके अतिरिक्त अभिलेखों के प्रस्तुति के समय यह अभिलेख प्रस्तुत करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया तथा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट होते है जिसके आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है।

6.3 छ अपीलार्थी का कथन स्वीकार नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी जॉच में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों और गवाहों के बयानों के आधार पर उसके ऊपर लगाया गया आरोप सिद्ध पाया गया जिसके लिए बडे दण्ड का पात्र बना है और उसको रोजगार से निष्कासन का दण्ड दिया गया। विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुकूल की गई है।

6.3 ज अपीलार्थी का तर्क निराधार है। नियुक्ति के समय फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है।

6.3 झ अपीलार्थी का कथन मान्य नही है इस पैरे से संबंधित टिप्पणी ऊपर के विभिन्न पैरों में दी गयी है।

7. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे माना जा सके। अपीलार्थी पर लगया गया आरोप गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतया सिद्ध होता है। अतः मै अधीक्षक डाकघर, खीरी मण्डल के दण्डादेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं पाता हूॅ एवं अपीलार्थी को दिये गये दण्ड की पुष्टि करता हूॅ तथा तदनुसार श्री श्री मुन्नू सिंह, भू0पू0 ग्रामीण डाक सेवक भाखा डाकपाल, नया गॉव (मैगलगंज) खीरी की अपील दिनांक 15.12.10 की निरस्त करते हुए उसका निष्तारण करता हूॅ।

8. According to the applicant, the Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority has passed the punishment orders in violation

of principles of natural justice and no opportunity of hearing was afforded to the applicant before passing the impugned orders. It has been stated by the applicant that the Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority has failed to consider the fact that appointment was given to the applicant on the basis of transfer certificate which do not contain entries against Class 8th on the ground that the applicant appeared in High School Examination in 1978 and the said original documents were in their official custody for last 30 years. It is stated by the applicant that the complainant Shri Narpath Singh is highly inimical with the applicant and has made a false complaint dated 13.4.2009 before the opposite No. 3 just to spoil the service career of the applicant.

9. The applicant filed rejoinder affidavit on 26.3.2012 enclosing a photo copy of the certificate dated 26.5.2009 Annexure (RA-1) claiming that he appeared in the High School Examination 1978 at the Roll No. 187758 as a regular student of Krishak Inter College (Sitapur). In the rejoinder affidavit, the applicant also submitted a photo copy of Class 8th School Leaving Certificate which is available at Annexure (RA-2).

10. We have heard the counsel for the parties and perused the material available on record. The learned counsel for the applicant argued the case of the applicant reiterating the grounds taken by him in his O.A. which have been stated in foregoing paras.

11. The learned counsel for the applicant submitted written arguments on behalf of the applicant reiterating whatever is said by him in his O.A. and rejoinder affidavit. Further, he also submitted two case laws in support of his contention.

(i) Hari Shankar Srivastava Vs. Commissioner Food & Civil Supply & Others- L.C.D. (30) 2012 page 705.

(ii) Man Mohan Singh Jaggi Vs. Food Corporation of India & Others- L.C.D. (29) 2011 Page 2265.

We have gone through the above case laws which pertain to a regular employee of the State Govt. and a Central Corporation

respectively. Therefore, these case laws are not applicable to Gramin Dak Sevak for whom GDS(Conduct and Employment) Rules 2001 have been specifically framed. These rules lay down a complete code governing the service and conduct of Extra Departmental Agents including proceedings for taking disciplinary action against them for misconduct. In this regard, following paras are extracted from ruling given by Hon'ble Supreme Court in Union of India Vs. Kameshwar Prasad 1998 SCC (L&S) 447

> "3. The Extra Departmental Agents are government servants holding a civil post and are entitled to the protection of Article 311(2) of the Constitution (See:Supdt. Of Post Offices Vs. P. K. Rajamma). They are governed by separate set of rules, viz., the Posts and Telegraphs Extra Departmental Agents(Conduct and Service) Rules, 1964 (hereinafter referred to as "the Rules"). The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules are not applicable to this category of employees in view of the notification dated 28.2.1957issued by the Governemnt of India under Rule 3 (3)of the said Rules.
>
> 4. In Rule 4of the Rules it is provided that the employees shall not be entitled to any pension. Rule 5 relates to leave. Rule 6 deals with termination of services. Rule 7 prescribes nature of penalties that can be imposed. Rule 8 prescribes the procedure for imposing a penalty. Rule 8-A specifies the cases in which the provisions of Rule 8 would not be applicable.
>
> X X X X X
>
> 7. The learned counsel for the appellants has urged that in view of the express provision contained in Rule 9(3) of the Rules, the Tribunal was in error in directing payment of wages to the respondents for the period during which they were put off duty. We find considerable substance in the aforesaid submission of the learned counsel. In view of the express provision continued in Rule 9(3) of the Rules which prescribes that "an employee shall not be entitled to any allowance for the period for which he is

kept off duty", we are unable to appreciate on what principle the Tribunal could direct the payment of allowances to the respondents for the period they were kept off duty. The Rules lay down a complete code governing the service and conduct of Extra Departmental Agents including proceedings for taking disciplinary action against them for misconduct. The provision in Rule 9 enabling an employee being put off duty may be akin to the power of suspension in the sense that during the period he is put off duty no work is assigned to the employee. But it does not mean that dehors the provisions contained in the Rules an employee who is kept off duty would be entitled to allowances for the period he was kept off duty. Even in a case where a government servant is placed under suspension during the pendency of departmental proceedings initiated against him the payment of salary and allowances for the period of suspension after the termination of the departmental proceedings is governed by the relevant rules. Here the matter is governed by Rule 9 (3) of the Rules which prescribes in express terms that an employee shall not be entitled to any allowance for the period for which he is kept off duty. The said provision does not envisage an exception in the matter of payment of allowances for the period the employee was kept off duty if the employee is exonerated in the departmental proceedings. The directions given by the Tribunal in the impugned orders for payment of allowances for the period the respondents were kept off duty cannot, therefore be upheld and have to be set aside."

12. The learned counsel for the respondents vehemently denied the contentions of the applicant by saying that after the issue of charge sheet and on denial of charges by the applicant in his representation dated 9.7.2009, the inquiry was conducted in the manner prescribed under Rule 10 of G.D.S.(Conduct and Employment) Rule 2001, applicant was informed in writing of the proposal to take action against him and all the allegations along with list of evidence in support of the

allegations communicated to him on which it was proposed to take action by issue of proper charge sheet. He was also given an opportunity to make any representation he wishes to make. The representation given by the applicant from time to time was duly considered by the competent authorities. It is stated by the respondents that the applicant submitted transfer certificate issued by Krishak Inter College, Maholi (Annexure-10)in which, there is an entry of Class 8th passed too. Such documents are kept in the safe custody of the department and were taken from the appointment file of the applicant available in the office of Superintendent Post Offices, Kheri who is also the custodian of such files. It was produced only during the open inquiry. Therefore, there is no question of such documents being tampered with by any Gram Pradhan or his men as is being alleged by the applicant now. The applicant has so far not made any allegation of tempering by the departmental officials during the course of the inquiry. Further the Appellate authority has acted in the framework of the service rules meant for G.D.S. and has passed the appellate order after considering various issues raised by the applicant in his appeal mentioned above. Since there is no such provision in GDS Rules 2001 of giving any opportunity of hearing at appellate stage and as such, nothing against rules or regulations have been done by the Appellate Authority. The applicant had been accorded full opportunity of hearing and to defend his case during open inquiry which was completed strictly in accordance with the provisions laid down under Rule 10 of GDS (Conduct and Employment) Rules 2001. It is submitted by the respondents that the applicant was given appointment on the basis of transfer certificate in which entries of Class 8th passed and as well as Class X failed existed (Annexure-10). So the contention of the applicant in this regard is vehemently denied . It is submitted by the respondents that definitely, the entry of Class 8th was made by the applicant before submission to department in order to become eligible for appointment of GDS BPM which was prescribed basic eligibility criteria for the appointment of GDS,BPM.

13. The learned counsel for the respondents submitted that the applicant had not exhausted the departmental remedy available to him against the appellate order before approaching this Tribunal as the applicant had opportunity to file revision petition under Rule 19 of GDS (Conduct and Employment) Rules 2001 to the next higher authority i.e. PMG Bareilly.

14. We find that disciplinary proceedings have been conducted in accordance with the relevant provisions of the GDS (Conduct and Employment) Rules 2001 by giving fair treatment to the applicant at all stages i.e. by inquiry officer, by Disciplinary Authority and by the Appellate Authority. These authorities have given their findings based on cogent material and after proper appraisal of relevant evidence on record. Procedural provisions are generally meant for affording reasonable and adequate opportunity to the delinquent employee. They are generally speaking conceived in his interest. Violation of any or every procedural provision cannot be said to be automatically vitiate the inquiry held or order passed. If no prejudice established to have resulted there from , no interference is called for. This ratio has been laid down by the Apex Court in State Bank of Patiala and Ors. Vs. S.K. Sharma 1996, (2) SLR -631(SC)

15. In Union of India and Others Vs. Upendra Singh, 1994 (3) SCC 357, the Apex Court has laid down that jurisdiction of CAT is akin to jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution. The scope of judicial review is not against the decision, but decision making process as has been clearly laid down by Hon'ble Supreme Court in case of Bank of India Vs. T. Jagram, AIR 2007 SC 2793 If no procedural irregularity / illegality in proceedings is found, principle of natural justice is not violated and no interference with the findings of authorities is warranted by the Tribunal. Considering the circumstances mentioned above, the present case is one where no interference of the Tribunal is called for.

16. We have not found anything arbitrary or perverse in the above findings recorded by the Disciplinary Authority and by the Appellate

Authority. Therefore, we do not find any scope to interfere with the finding of the competent authorities under the relevant provisions of the GDS (Conduct and Employment) Rules 2001.

17. In view of the facts and circumstances stated above, the O.A. is devoid of merit and is liable to be dismissed.

18. The O.A. is accordingly dismissed. Parties to bear their own costs.

10.9.12

(S.P. Singh)
Member (A)

Alok Kumar Singh 10.9.12

(Justice Alok Kumar Singh)
Member (J)

vidya